



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

— 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो०बजट-48B / 2015- 435 दिनांक : 09/6/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल / मेदिनीनगर वन प्रमण्डल / गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल / गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल / लातेहार वन प्रमण्डल / चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल / चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल / कोडरमा वन प्रमण्डल / हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल / हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग।

विषय :—

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वयित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वन भूमि पर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण तथा गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) हेतु कुल रु0 20.845 लाख (बीस लाख चौरासी हजार पाँच सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग :—

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०बजट-70 / 2015-60 / स्वी0 व0प0 दिनांक 07.03.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो०बजट-32 / 2020- 02 / आ० व0प0 दिनांक 21.05.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 20.845 लाख (बीस लाख चौरासी हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :—

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	20.845
कुल :—		20.845

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

✓

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601789580103 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक—1254 दिनांक—20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय—समय पर निर्गत योजना—सह—वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक

16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अच्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-48B / 2015-435 दिनांक- 09/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ पलामू/ हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ चतरा/ हजारीबाग/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-48B / 2015-435 दिनांक- 09/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ लातेहार/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं
भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातीयों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत
अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं
वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्रम सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			2272.71	0.00	2272.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	60	1.364	0.000	1.364
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	25	0.568	0.000	0.568
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	30	0.682	0.000	0.682
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	30	0.682	0.000	0.682
5	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	70	1.591	0.000	1.591
6	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	60	1.364	0.000	1.364
7	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	60	1.364	0.000	1.364
8	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	60	1.364	0.000	1.364
9	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	60	1.364	0.000	1.364
10	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	60	1.364	0.000	1.364
11	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	60	1.364	0.000	1.364
12	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	60	1.364	0.000	1.364
13	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	60	1.364	0.000	1.364
योग :-		695	15.799	0.000	15.799

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं
भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातीयों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र
बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं

वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्रम सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			2272.71	0.00	2272.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	30	0.682	0.000	0.682
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	30	0.682	0.000	0.682
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	30	0.682	0.000	0.682
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	25	0.568	0.000	0.568
5	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	17	0.386	0.000	0.386
6	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	60	1.364	0.000	1.364
योग :-		192	4.364	0.000	4.364



वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं
भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत
गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं
वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			2272.71	0.00	2272.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	30	0.682	0.000	0.682
	योग :-	30	0.682	0.000	0.682
	सकल योग :-	917	20.845	0.000	20.845

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ०४/ यो०ब०-७०/ २०१५-६०/ स्वी० व०प० दिनांक ०७.०३.२०१७

अपर प्रधान मुख्य वनी संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) / वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) / शीघ्र बढ़ने वाले पौधों कारोपण (2500 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)							
1	पौधों की सुरक्षा	हेक्टेक्टर	7.30	2272.71		2272.71	
योग :-			7.30	2272.71	0.00	2272.71	
(B) सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)							
1	पौधों की सुरक्षा	हेक्टेक्टर	7.30	2272.71		2272.71	
योग :-			7.30	2272.71	0.00	2272.71	

अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चातुर्वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

2021-22

में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या -

01/YB-48B/2015/435

दिनांक -

09-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060178958010103	25579	DGRFORE88	136,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी		RAJ KUMAR SAH	रुपये एक लाख छत्तीस हजार चार सौ
	01 - वानिकी		DFO	
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		DEO.FOR.DIV.DEO.	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
2	S 19 24060178958010103	25581	PLMFOR070	197,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी		RAHUL KUMAR IFS	रुपये एक लाख सित्तानवे हजार
	01 - वानिकी		D.F.O.MEDININAGAR.	सात सौ
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		OREST.DIV.	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
3	S 19 24060178958010103	25583	GRHFWL001	204,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी		DILEEP KUMAR YADAV	रुपये दो लाख चार हजार छ: सौ
	01 - वानिकी		D.F.O. NORTH DIV.	
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		GARHWA	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		

स्वोत्तमः

Figure 1. The effect of the number of clusters on the classification accuracy of the proposed model.

538,700.00

संक्षिप्त विवरण


(NAND KISHORE SINGH)
FOOD DEV. JHARKHAND

Page 1 of 5

DANCI

Run Date: 9/6/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ते	25587	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	204,600.00 रुपये दो लाख चार हजार छ: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ते	25590	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	136,400.00 रुपये एक लाख छत्तीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ते	25592	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O. NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	272,800.00 रुपये दो लाख बहत्तर हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये ग्यारह लाख बावन हजार पाँच सौ			613,800.00
क्रमिक योग:				1,152,500.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ते	25593	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	204,600.00 रुपये दो लाख चार हजार छ: सौ
8	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ते	25594	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	136,400.00 रुपये एक लाख छहतीस हजार चार सौ
9	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भन्ते	25596	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	193,200.00 रुपये एक लाख तिरनवे हजार दो सौ
<p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p> <p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p> <p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p>				
<p>योगः रुपये सोलह लाख छियासी हजार सात सौ</p> <p>क्रमिक योगः</p> <p> (NAND KISHORE SINGH) ATTO: PCCE DEV JHARKHAND</p>				
<p>534,200.00</p> <p>1,686,700.00</p>				

क्रमांक	दिपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060178958010103	25597	HZBFWL009	136,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SMITHA PANKAJ	रुपये एक लाख छत्तीस हजार चार सौ
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		DIV. FOREST OFFICE EAST	
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		03 - मजदूरी	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	State Scheme : NA			
	Central Scheme : NA			
11	S 19 24060178958010103	25598	DGRFORE87	56,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		B.BHASKARAN	रुपये छप्पन हजार आठ सौ
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O. S.F.DIV.. DGR	
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		03 - मजदूरी	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	State Scheme : NA			
	Central Scheme : NA			
12	S 19 24060178958010103	25599	KDMFORA02	136,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		KANAK KISHORE	रुपये एक लाख छत्तीस हजार चार सौ
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O (S.F.) KODERMA	
	58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		03 - मजदूरी	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	State Scheme : NA			
	Central Scheme : NA			
योग:	रुपये बीस लाख सोलह हजार तीन सौ			329,600.00
क्रामिक योग:				2,016,300.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. P.C.E. DEV. JHARKHAND	
			RANCH	
Page 4 of 5			Run Date: 9/6/2021	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	25601 HZBFWL007	RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 03 - मजदुरी	रुपये अडसठ हजार दो सौ 68,200.00

State Scheme : NA
Central Scheme : NA



योग:	रुपये बीस लाख चौरासी हजार पैंच सौ	68,200.00
क्रमिक योग:		2,084,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND